झारखण्ड विधान-सभा

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

प्रस्तावना ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. धारा-7 का संशोधन ।
3. धारा-10 का संशोधन ।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-**

(i) यह अधिनियम राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संशोधन अधिनियम 2006 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(iii) यह संशोधन अधिनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रवृत समझा जायेगा ।

2. **धारा-7 का संशोधन ।-**

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी परिषद् का गठन । राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त संस्था होगा एवं इसका प्रबंधन शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें निम्नलिखित ''पन्द्रह सदस्य होंगे'', ''तेरह सदस्य होंगे'' द्वारा प्रतिस्थापित होगा तथा

(i) ''मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार'' को विलोपित कर ''मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।

(ii) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार विलोपित होगा ।

(x) ''राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त दो चिकित्सा विषेशज्ञों'' को विलोपित कर ''राज्य सरकार द्वारा मनोनीत चिकित्सा शिक्षा कार्य से संबंधित एक चिकित्सा विशेषज्ञ'' द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।

3. **धारा-10 का संशोधन ।-**

धारा-10 की उप धारा (i) में ''मुख्य सचिव'' एवं ''विकास आयुक्त'' शब्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर क्रमशः ''मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग'' तथा ''प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग'' द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।

यह विधेयक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 22 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०)27--50--22-8-2006 ।